भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या 673 /मु0ख0/भू0खनि0ई0/01/स्कीम ऑफ माइनिंग/2010–11 दिनांक 17 मार्च 2023

कार्यालय–ज्ञाप

मै0 वेदान्त माईन्स प्रा0लि0, ग्राम व पोस्ट गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3024/VII-I/2018/24–सोपस्टोन/16 दिनांक 14 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील कपकोट के ग्राम गडेरा में 22.645 है0 क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया । उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण उपनिबंधक कार्यालय बागेश्वर में 17.04.2018 को किया गया जिसकी अवधि 50 वर्ष अर्थात 16.04.2068 तक वैध है, से संबंधित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 /VII-I/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर –3 (दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 2378/खनन/मा0प्ला0/भू0खनि0ई0/14/2022–23 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 25.04.2023 के क्रम में आर0क्यू0पी0 श्री पंकज पाण्डे रजिस्ट्रेशन नं0 आर0क्यू0पी0/डी0डी0एन0/04 /2016 द्वारा तैयार स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के वर्ष 2023–24 में 14787 टन, वर्ष 2024–25 में 15697 टन, वर्ष 2025–26 में 16045 टन, वर्ष 2026–27 में 18264 टन, वर्ष 2027–28 में 20671 टन, के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:–

शर्तें/प्रतिबन्धः–

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश स संख्या 3024/VII-I/2018/24–सोपस्टोन/16 दिनांक 14 फरवरी, 2018 की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

6. पट्टाधारक द्वारा वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 J-11015/219/2016-IA.II(M) दिनांक 01.02.2017 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम आंफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बंन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
7. यह स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
8. यह स्कीम ऑफ माइनिंग वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
9. अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
10. इस स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
12. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
13. स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा पट्टाधारक जिम्मेदार होगें।
16. अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/पट्टाधारक का होगा।

संलग्नकः स्कीम ऑफ माईनिंग प्रति।

16/05/2023
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।

संख्या 643 **/मु0ख0/भू0खनि0ई0/23/स्कीम ऑफ माइनिंग/2010–11 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर ।
4. मै0 केमाईन्स प्रा0लि0, ग्राम व पोस्ट गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर ।
5. श्री पंकज पाण्डे श्री श्याम विहार कालोनी, निकट बी0जे0पी0 कार्यालय तल्ली बमोरी, बन्दोबस्ती, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

16/05/2023
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।